कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 39 / 2023

श्रीमती भगवानदेवी पत्नि स्व. श्री रतनसिंह आयु 87 वर्ष निवासी पुराने बिजलीघर के सामने भरतपुर मथुरागेट बाहर भरतपुर

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार(रिकार्ड रुम) भरतपुर

...रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 24.8.2023

अपीलार्थी श्रीमती भगवानदेवी पत्नि स्व. श्री रतनसिंह आयु 87 वर्ष निवासी पुराने बिजलीघर के सामने भरतपुर मथुरागेट बाहर भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार(रिकार्ड रुम) भरतपुर के खिलाफ इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 30–05–2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार(रिकार्ड रुम) भरतपुर से सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार(रिकार्ड रुम) भरतपुर द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 562 दिनांक 03.08.2023 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार(रिकार्ड रुम) भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार(रिकार्ड रुम) भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र कमांक / जि.अभि. / 2023 / 70 दिनांक 22.8.2023 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया का अपनी अपील में कथन है कि उसके द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार(रिकार्ड रुम) भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र कमांक / जि.अभि. / 2023 / 70 दिनांक 22.8.23

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

से अवगत कराया है कि प्रार्थीया का सूचना का आवेदन कार्यालय में प्राप्त ही नहीं हुआ है, आवेदन प्राप्त होने पर सूचना उपलब्ध करादी जावेगी। यानि प्रार्थीया द्वारा सूचना का अधिकार के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त नहीं होने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं कराई जासकी है। अतः प्रार्थीया से अपेक्षा की जाती है कि वह वांछित सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी के समक्ष पुनः आवेदन प्रस्तुत करे। उक्तानुसार अपील अपीलान्टा खारिज की जाती है। आदेश की प्रति प्रार्थीया को (प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार(रिकार्ड रुम भरतपुर प्राप्त पत्र की फोटो प्रति सलंग्न) कर प्रेषित की जावे। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार(रिकार्ड रुम) भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर